राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 684 /241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक– 6-11-17

मा0 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण/अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष
   जिला नगरीय विकास अभिकरण
2. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
   शहर मिशन प्रबंधन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण
   उत्तर प्रदेश।

   जनपद– लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, रायबरेली, उन्नाव, मैनपुरी, बुलन्दशहर, सम्भल, गोण्डा, महोबा, महाराजगंज, बिजनौर, अलीगढ़, मेरठ एवं रामपुर।

विषयः–दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत निर्मित/उच्चीकृत आश्रय गृहों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत शहरों की सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित शेल्टर होम की परियोजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित निकायों को हस्तगत करा दिया गया है/निर्माण कार्य पूर्ण हैः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नया/ उच्चीकरण	लोकेशन	क्षमता	प्रगति स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	नया निर्माण	पलटन छावनी	50	दिनांक 01.05.2017 को हस्तगत
2	लखनऊ	उच्चीकरण	लक्ष्मण मेला	50	संचालित परन्तु शासनादेश के अनुक्रम में सुचारू रूप से संचालन की आवश्यकता
3	लखनऊ	उच्चीकरण	जियामऊ	50	
4	कानपुर नगर	उच्चीकरण	चुन्नीगंज बस स्टाफ के पास	50	
5	कानपुर नगर	उच्चीकरण	भैरवघाट के पास	50	
6	कानपुर नगर	नया निर्माण	लाला लाजपत राय	60	
7	कानपुर नगर	नया निर्माण	पहाड़पुर	60	निर्माण कार्य पूर्ण
8	कानपुर नगर	नया निर्माण	शिवली रोड़ कल्यानपुर	60	दिनांक 31.12.2016 को हस्तगत
9	गाजियाबाद	नया निर्माण	मोहिद्दीनपुर मैनापुर (कबीरनगर)	100	निर्माण कार्य पूर्ण
10	गाजियाबाद	नया निर्माण	घुकना (सिटीजोन)	100	निर्माण कार्य पूर्ण
11	आगरा	नया निर्माण	लोहामण्डी नगर निगम परिषद	75	दिनांक 10.07.2017 को हस्तगत
12	अलीगढ	नया निर्माण	भोजपुरा	100	निर्माण कार्य पूर्ण
13	खुर्जा- बुलन्दशहर	नया निर्माण	खुर्जा अन्दर चुंगी	50	निर्माण कार्य पूर्ण
14	मथुरा	नया निर्माण	लक्ष्मीनगर	100	दिनांक 16.06.2017 को हस्तगत
15	मऊ	नया निर्माण	सहादतगंज	50	माह दिसम्बर–2016 में हस्तान्तरित
16	उन्नाव	नया निर्माण	ए0बी0 नगर	50	दिनांक 25.07.17 को हस्तगत
17	मैनपुरी	नया निर्माण	श्रृंगार नगर	100	माह फरवरी–2017 में हस्तान्तरित।
18	गोण्डा	नया निर्माण	मेवातियान मोहल्ला	60	दिनांक 25.07.2017 को हस्तगत।
19	महाराजगंज	नया निर्माण	-	50	दिनांक 28.06.17 को हस्तगत

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नया/ उच्चीकरण	लोकेशन	क्षमता	प्रगति स्थिति
20	गोरखपुर	नया निर्माण	वार्ड-31	50	दिनांक 01.05.17 को हस्तगत
21	रायबरेली	नया निर्माण	धौरहरा	50	निर्माण कार्य पूर्ण
22	महोबा	नया निर्माण	महोबा राँठ रोड़ पर नवोदय विद्यालय के पास	50	दिनांक 03.06.2017 को हस्तगत।
23	बिजनौर	नया निर्माण	-	50	दिनांक 02.08.2017 को हस्तगत
24	चन्दौसी- सम्भल	नया निर्माण	घटिया गेट	69	निर्माण कार्य पूर्ण
25	मुरादाबाद	नया निर्माण	कुन्दनपुर	50	निर्माण कार्य पूर्ण
26	मेरठ	नया निर्माण	रोहता रोड	50	निर्माण कार्य पूर्ण
27	मेरठ	नया निर्माण	गढ़ रोड	100	निर्माण कार्य पूर्ण
28	मेरठ	नया निर्माण	बराल परतापुर बाईपास मार्ग	70	निर्माण कार्य पूर्ण
29	मेरठ	नया निर्माण	मुकुट महल	50	निर्माण कार्य पूर्ण
30	रामपुर	नया निर्माण	मुमताज पार्क के पास	100	हस्तगत।
31	मुजफ्फरनगर	नया निर्माण	रेलवे स्टेशन के पास	50	निर्माण कार्य पूर्ण

उक्त सम्बन्ध में सूच्य है कि हस्तगत एवं निर्माण कार्य पूर्ण शेल्टर होम का संचालन तत्काल प्रथम वरीयता के क्रम में कराया जाना है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि शेल्टर होम के हस्तगत होने के एक सप्ताह के भीतर नगर निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में शेल्टर होम का संचालन आरम्भ करते हुए शासनादेश संख्या 3964/नौ–7–16–98(जनरल)/2016 दिनांक 28 जून 2016 जो समस्त जनपदों को पूर्व में भी शासन/सूडा उ0प्र0 द्वारा प्रेषित है के अनुक्रम में सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण रिट याचिका संख्या 55/2003 व 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के तहत मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। विगत दिनांक 13.10.2017 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित संख्या में शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में कड़ी टिप्पणी करते हुए प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित समिति द्वारा विगत माह अप्रैल में प्रदेश के लखनऊ एवं कानपुर के शेल्टर्स का भ्रमण कर मा0 सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या में उ0प्र0 को Poor तथा कानपुर नगर को Extremely Poor की श्रेणी में रखा गया है जो संचालित आश्रय की स्थिति एवं गुणवत्ता को परिलक्षित करता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 08.11.2017 को नियत है, जिसके दृष्टिगत दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत निर्मित शेल्टर्स को संचालित किया जाना अपरिहार्य है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा विगत माह अप्रैल में प्रदेश में भ्रमण के समय निर्देशित किया गया है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गाइडलाइन के अनुसार सभी शेल्टर्स का संचालन यथा सम्भव आउटसोर्स संस्था द्वारा सुचारू रूप से कराया जाय जिसके दृष्टिगत तत्काल सभी शेल्टर्स का संचालन नगरीय निकायों द्वारा आरम्भ करने के साथ ही साथ शासनादेश सं0–3964/नौ–7–16–98(जनरल)/2016 दिनांक 28 जून 2016 के अनुक्रम में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करके संचालन सुनिश्चित कराया जाय।

प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उपोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए सभी शेल्टर्स का संचालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय

को भी सूचित करें। उल्लिखित परियोजनाओं में संचालन व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि की मांग का प्रस्ताव, परियोजना पूर्ण का प्रमाण पत्र, हस्तगत प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स, संचालन व्यवस्था का विवरण (संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है/किया जाना है) के विवरण के साथ ही परियोजनान्तर्गत निर्गत अन्तिम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि संचालन व्यवस्था की धनराशि अवमुक्त की जा सके।

अतः अनुरोध है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत पूर्ण शेल्टर होम का भी संचालन तत्काल आरम्भ कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
3. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक